संख्या–343/17–नि0अनु0/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2003

विषय:– वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक संख्या– 3454–के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–87/नि0 अनु0/बजट–16/नि0वि0/2003 दिनांक 2 अप्रैल, 2003 एवं शासनादेश संख्या–240/17–नि0 अनु0/ 2003 दिनांक 15 जुलाई, 2003 तथा आपके पत्रांक 429/तीन–ले0–(अ0 एवं सं0)/2003 दिनांक 24 जुलाई,2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अवचनबद्ध मदों हेतु आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2003–04 के लिए संलग्न में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख अंकित आयोजनागत पक्ष में रु0 26.70 लाख(रु0 छब्बीस लाख सत्तर हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 5.70 लाख (रु0 पांच लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– उक्त धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय करने से पूर्व यह अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

C:\Yog\Yojdol03-04

4— स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

5— फर्नीचर/उपकरण का क्रय पद धारक/कार्यालय की अनुमन्यता के अनुसार ही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

6— कम्प्यूटर का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति के उपरान्त कम्प्यूटर संचालन हेतु स्वीकृत पद के विपरीत कार्यरत पदधारकों की संख्या के अनुरूप ही किया जायेगा।

7— संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम—13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

8— यह सुनिश्चित किया जाय शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—आयोजनागत/आयोजनेत्तर—02—सर्वेक्षण सांख्यिकी—001—निदेशन तथा प्रशासन—03—अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—1292/वि03अनु0—3/2003 दिनांक 17 सितम्बर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या— (1)/17—नि03अनु0/2003,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
4— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– 343 /17–नि0अनु0/2003 दिनांक: 22 सितम्बर, 2003 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रू0 में)

अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण सांख्यिकी 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान		
04–यात्रा व्यय	250	—
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण का क्रय	—	100
18–प्रकाशन	—	250
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	—	20
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2420	200
कुल योग– (रू0 बत्तीस लाख चालीस हजार मात्र)	26.70 (रू0 छब्बीस लाख सत्तर हजार मात्र)	5.70 (रू0 पाँच लाख सत्तर हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

\Negi\Bugdet03-04